13-5-2025

Not proceed

राजस्व लोक अदालत न्यायालय आपके द्वार के तहत उभय पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत मेला सेवा केन्द्र गुण्डा रानीपुरा पर पेश हुयी। वादी के वकील व प्रतिवादी नं.2 उपस्थित। प्रतिवादी नं.2 ने जवाब पेश किया। वादी ने वाद पत्र पर नोट प्रेस अंकित किया है। वादी वकील वाद पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वाद वादी नोट प्रेस के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नकल के साथ दफ्तर दाखिल हो।

Scanned by CamScanner